

कार्यालय कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।

कमांक:कोष / सचि0 / 18-19 / 2293

दिनांक:28.09.2018

28/9/18

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी


.....

महोदय,

कोषालय के पत्रांक कोष/सचि0/18/ 2266 दिनांक 20.09.2018 मे समस्त आहरण एवं विरतण अधिकारियों को टी.डी.एस. डिडक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निवेदन किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि माह सितम्बर के वेतन बिल कोषालय में प्रस्तुत करते समय जी.एस.टी. के तहत टी.डी.एस. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई बाध्यता नहीं है।

www.rajteachers.com

भवदीय,


(राजू सूद)
कोषाधिकारी,

शासन सचिवालय, जयपुर।